राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

कमांकः एफ 27 (44) ग्राविवि/ग्रुप–5/आवास/प्रगति/समीक्षा/2015–16 जयपुर, दिनांक 21 जनवरी, 2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र), समस्त,
राजस्थान।

विषय :–आवास योजनाओं के वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक स्वीकृत अपूर्ण आवासों को 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण कराने बाबत्।
प्रसंग :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.01.2016 एवं पत्र कमांकः एफ 27 (45) ग्राविवि/ग्रुप–5/आवास/विविध/2015–16 दिनांक 30.12.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में आयोजित जिलों की वीसी समीक्षा बैठक दिनांक 19.1.2016 में माननीय मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2010–11 से वर्ष 2013–14 तक स्वीकृत अपूर्ण आवासों को 31 मार्च, 2016 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने एवं नवीन पात्र लाभार्थियों के पंजीयन बाबत् प्रासंगिक पत्रों द्वारा समय–समय पर निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 3.30 लाख आवास अभी भी अपूर्ण होना अत्यन्त खेदजनक है।

आवासीय योजनाओं के कियान्वयन में गति लाने के उद्देश्य से पूर्व में प्रसारित निर्देशों के कम में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु पुनः निर्देशित किया जाता है :–

1. **आवास सहायकों की नियुक्ति एवं नियमित बैठक**

अ– अपूर्ण/प्रगतिरत आवासों की प्रत्येक ग्राम में एक या अधिकतम 50 आवासों पर एक आवास सहायक लगाया जाना है।

ब– आवास सहायकों एवं ग्राम सेवक की तुरन्त **पंचायत समिति स्तर या ग्राम पंचायतों के समुह के स्तर पर बैठक लें।** बैठक में आवास सहायकों को निर्देश दे कि वे उनको दिये 50 आवासों की द्वितीय या तृतीय किस्त जो भी देय हो, के आवेदन 15 से 30 दिवस में तैयार करें।

स– आवास सहायक द्वितीय/तृतीय किस्तों के आवेदन **ई–मित्र पर सीधे ही अपलोड कराऐं,** जिसका शुल्क 30 रूपये अलग से उनको भुगतान किया जाए।

द– आवास सौफ्ट पर जैसे ही अपलोड हो दैनिक तौर पर ग्राम सेवक या ग्राम सेवक उपलब्ध न होने पर उच्च कार्मिक/अधिकारी से **सात दिवस में सत्यापन कर लाभार्थी को भुगतान करायें।**

य– आवास सहायक की एक माह पश्चात ब्लॉक/ग्राम पंचायतों के समुह स्तर पर पुनः बैठक लें तथा उनको आवंटित 50 आवासों की द्वितीय/तृतीय किस्त के प्रस्ताव हार्डकापी में प्राप्त करें। यदि उनके द्वारा 50 आवासों की किस्तों के प्रस्ताव नहीं बनाये है तो आगामी सात दिवस में किस्तों के प्रस्ताव बनाने के पुनः निर्देश दे।

जिन आवासों की किस्त जारी नहीं की जा सकती, उनके फोटो भी आवास सहायक लाएगें।

र– आवास सौफ्ट पर अपलोड होने से सात दिवस में **भुगतान न होने पर संबंधित कार्मिक एवं ब्लॉक अधिकारी व्यक्तिशः दोषी होगें** उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करे।

ल– आवास सहायकों को विभागीय पत्र दिनांक 18.8.2015 के अनुसार देय मानदेय का भुगतान उनके द्वारा ईमित्र के माध्यम से आवास सौफ्ट पर अपलोड किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर निर्धारित समय पर करें।

2. स्वीकृत / प्रगतिरत आवासों के प्रत्येक लाभार्थी को उनकी स्वीकृति एवं किस्त हस्तान्तरण की वस्तुस्थिति से **10 दिवस में पत्र लिख कर आवास अधिकार कार्ड सहित अवगत कराया जाए।** अवितरित आवास अधिकार कार्डो के लिए दोषी अधिकारियों / कार्मिकों का चिन्हिकरण कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करें।

3. आवाससॉफ्ट से उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार गत वर्षो में स्वीकृत कई **आवासों का एकबार भी निरीक्षण नहीं किया गया है, जो कि खेदजनक है।** स्वीकृति जारी होने के बाद विभागीय योजनाओं के अन्य निर्माण कार्य के समकक्ष ही आवास निर्माण हेतु भी मार्गदर्शन एवं समय पर प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत व पंचायत समिति का है। उक्त कम में अपूर्ण / प्रगतिरत आवासों का 15 दिवस में भौतिक सत्यापन कराकर आवाससॉफ्ट पर प्रगति अपलोड कराना सुनिश्चित करावें। इस कम में स्पष्ट किया जाता है कि आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित पूर्व की फोटो को ओवरराईट कर नवीनतम फोटो अपलोड की जा सकती है।

4. पाक्षिक या मासिक रूप से समाचार--पत्रों अथवा अन्य माध्यमों से **लाभार्थियों से जारी की गई अपीलों की समीक्षा करें** तथा यदि अपील जारी करने में कोताही बरती गई है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही करें।

5. ग्राम पंचायतों / आवास सहायक द्वारा तैयार किये गये उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के पंचायत समिति स्तर से भुगतान प्रकिया एवं जिला परिषद् स्तर पर इनके द्वारा ई–मेल से प्रेषित ऑर्डर शीट के आधार पर **लाभार्थी को भुगतान अवधि की समीक्षा कर भुगतान में विलम्ब के दोषी कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें।**

6. आवास योजनाओं के अलावा आवास निर्माण हेतु **महात्मा गांधी नरेगा से कनवरजेंस से 15,570 / – तक की सहायता राशि प्राप्त होती है।** इस हेतु सम्बन्धित लाभार्थी को जारी मस्टररोल एवं उनके भुगतान की स्थिति की समीक्षा करें ।

7. विभागीय वेब–साईट पर पंजीकृत तृतीय पक्ष संस्थाओं / राजकीय व प्राईवेट इंजीनियरिग व पॉलोटेकनिक कॉलेजों की सूची उपलब्ध है। इसके कम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इन्दिरा आवास योजना / अन्य **योजनाओं का तृतीय पक्ष निरीक्षण आप स्वयं अपने स्तर से आदेशित कर सकते है** एवं मेटेरियल टेस्टींग की दरें जो कि सम्बन्धित सरकारी तकनीकी महाविद्यालय अनुमत है अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग की गुणवत्ता परीक्षण हेतु निर्धारित दर, के बराबर देय होगी।

अतः योजनान्तर्गत उक्तानुसार पाक्षिक समीक्षा कर स्वीकृत प्रगतिरत / अपूर्ण आवासों को मार्च, 2016 तक पूर्ण करावें।

21/1/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि P.D.(M&E) को भेजकर निर्देश हैं कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

PD

(के.के शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा.वि.वि.